न्यायालय विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 27, आगरा।
सैशन केस सं0 562/2026

राज्य   बनाम   यूबी राठौर उर्फ उपेन्द्र राठौर

धारा–64(1), 137(2), 123 बी.एन.एस.
एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट
थाना–ताजगंज, जिला आगरा

1– प्रार्थी अभियुक्त यू.बी. राठौर उर्फ उपेन्द्र राठौर की ओर से प्रस्तुत रिलीज प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र वाहन/मोटरसाइकिल/स्कूटर पंजीयन संख्या यू0पी0 83 बी.एस.–5969 को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी अभियुक्त उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी अभियुक्त को उपरोक्त केस में षडयंत्र एवं ब्लैकमेल कर लाभ लेने के उद्देश्य से झूठा नामित किया गया है। पुलिस द्वारा दिनांक 01.10.2025 को कुबेरपुर अण्डरपास के पास मुखबिर की सूचना पर प्रार्थी अभियुक्त की गिरफ्तारी दर्शायी गयी है। प्रार्थी अभियुक्त अपने साइट आशाबाद चौराहा पर पी.वी.सी. पैनल इन्टीरियर का कार्य कर रहा था, जहां से दिनांक 27.09.2025 को मय उपरोक्त मोटर साईकिल के साथ पूछताछ के लिये ले गये थे और अपनी अवैधानिक हिरासत में रखा और दिनांक 01.10.2025 को कुबेरपुर के पास गिरफ्तारी दर्शायी। प्रार्थी अभियुक्त की उपरोक्त मोटर साईकिल थाना ताजगंज, जिला आगरा पर खड़ी है। प्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के कारण सभी वैध कागजात वाहन से सम्बन्धित उसके पास हैं। चल सम्पत्ति होने के कारण उसके क्षतिग्रस्त व नष्ट होने की संभावना है तथा आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अभियुक्त को सुपुर्दगी में वाहन को देने पर वह वाहन को बेचेगा नहीं और न ही उसके स्वरूप में बदलाव करेगा तथा न ही उसमें रंग–रोगन करेगा एवं जब भी न्यायालय तलब करेगी उपरोक्त वाहन को लेकर न्यायालय में उपस्ति होगा। प्रार्थी अभियुक्त की उपरोक्त मामले में जमानत स्वीकृत हो चुकी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त के उपरोक्त वाहन मोटरसाइकिल को प्रार्थी अभियुक्त के हक में अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2– संबंधित थाने से आख्या मंगायी गयी। थाने की आख्यानुसार आवेदक यूबी राठौर उर्फ उपेन्द्र राठौर का वाहन बिना नम्बर प्लेट के व चैसिस नं. एम.डी.2बी.57सी.एक्स.4आर.सी.सी.44254 है। उक्त वाहन लावारिश हालत में दाखिल है तथा थाना हाजा पर मौजूद है।

3– प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं थाने से प्राप्त आख्या एवं सम्बन्धित सत्र वाद संख्या 2464/2025 की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4– अवलोकन से विदित है कि थाने से से प्राप्त आख्या में उक्त वाहन का किसी भी मुकदमे के अन्तर्गत थाना हाजा पर दाखिल होना नहीं बताया है एवं मात्र उक्त वाहन का बिना नम्बर प्लेट के लावारिश हालत में थाने पर खड़े होना कहा है। प्रार्थी अभियुक्त की मु0अ0सं0 644/2025, थाना ताजगंज, आगरा से सम्बन्धित सत्र वाद संख्या 2464/2025 की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक अवलोकन से भी उक्त वाहन का उक्त मुकदमे से कोई सम्बन्ध होना या उक्त मुकदमे में थाने पर जमा होना भी विदित नहीं होता है। चूंकि उक्त प्रश्नगत वाहन न्यायालय में लम्बित सत्र वाद संख्या 2464/2025 के मामले से सम्बन्धित नहीं है और न ही उक्त मामले के अन्तर्गत थाने में निरूद्ध है। उक्त स्थिति में उक्त वाहन को न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के हक में अवमुक्त किये जाने के विधिक आधार नहीं है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रश्नगत वाहन के रिलीज के बावत प्रस्तुत प्रकीर्णवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अभियुक्त यू.बी. राठौर उर्फ उपेन्द्र राठौर की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रकीर्णवाद निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रश्नगत वाहन के रिलीज के बावत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

(सोनिका चौधरी)
दिनांक 03–07–2026   विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 27, आगरा।
जे.ओ. कोड–यू.पी.06195

Digitally signed by Sonica Choudhary
Date: 2026.07.03 15:41:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court